न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1605/2025

CNR No.UPBB 0100 3627 2026

रजनीश कुमार आयु लगभग 52 साल पुत्र विन्द्रा प्रसाद निवासी सूरतगंज थाना मोहम्मदपुर खाला, जिला बाराबंकी ।

——— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं–151/2026
धारा–319(2),318(4),338,336(2),340(2) बीएनएस
थाना–मोहम्मदपुर खाला,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	**श्री बच्चाराम वर्मा**
अभियोजन पक्ष की ओर से	**श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।**
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	**05.06.2026**
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	**11.06.2026**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1616/2025

CNR No.UPBB 0100 3641 2026

प्रमोद कुमार दीक्षित आयु लगभग 35 साल पुत्र राजेश कुमार निवासी सूरतगंज थाना मोहम्मदपुर खाला, जिला बाराबंकी ।

——— प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं–151/2026
धारा–319(2),318(4),338,336(2),340(2) बीएनएस
थाना–मोहम्मदपुर खाला,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	**श्री नरेन्द्र कुमार यादव**
अभियोजन पक्ष की ओर से	**श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।**
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	**05.06.2026**
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	**11.06.2026**

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र

यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

यह दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध से सम्बन्धित हैं, अतः इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा लालता प्रसाद द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसके चाचा परसराम की दिनांक 16.05.2018 को मृत्यु हो गयी थी जिनके कोई संतान नहीं थी परन्तु अनीता द्वारा परसराम की पुत्री बनकर अन्य सह अभियुक्तगण प्रमोद कुमार दीक्षित, रजनीश कुमार व जयकरन आदि लोगों से मिलकर परसराम की जमीन का एग्रीमेंट करा दिया जबकि अनीता बेचन की पुत्री है। अनीता द्वारा स्वयं को परसराम की पुत्री होने के बावत अन्य सह अभियुक्तगण से मिलकर

कक्षा 8 के मार्कशीट, परिवार रजिस्टर आदि में अपना नाम दर्ज कराया गया है। अनीता बेचन की पुत्री है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्तगण न तो किसी इकरारनामा का साक्षी है न ही कूटरचित इकरारनामा तैयार कराया गया है। कथित इकरारनामा निरस्त कराया जा चुका है। राजस्व न्यायालय द्वारा अनीता को परसराम की पुत्री मानकर भूमि अन्तरण किया गया था। मामला सिविल प्रकृति का है। उपरोक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर षडयंत्र के तहत, सह अभियुक्ता अनीता को कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर वादी मुकदमा के चाचा परसराम, जिनके कोई संतान नहीं थी, की मृत्युउपरांत, वारिस दर्शाकर भूमि का नामान्तरण अपने पक्ष में राजस्व न्यायालय से कराया गया तत्पश्चात उक्त भूमि के बावत इकरारनामा निष्पादित कराया गया है। अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के आशय से कूटरचना की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जहां पर अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है वहां पर न्यायालय को ऐसे प्रार्थनापत्र पर सुनवायी के समय अपराध की गम्भीरता एवं अपराध कारित किये जाने की प्रकृति के साथ साथ इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिये कि क्या वादी द्वारा अभियुक्त को झूठे मुकदमें में नामित कर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है या नहीं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पी0 चिदम्बरम बनाम डायरेक्टर ऑफ इमफोर्समेन्ट ए0आई0आर0 2019 सुप्रीम कोर्ट 4198** में यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत मात्र विरलतम परिस्थितियों में ही स्वीकार की जा सकती है।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। मामले में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर षडयंत्र के तहत, सह अभियुक्ता अनीता को कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर वादी मुकदमा के चाचा परसराम, जिनके कोई संतान नहीं थी, की मृत्युउपरांत, वारिस दर्शाकर भूमि का नामान्तरण अपने पक्ष में राजस्व न्यायालय से कराये जाने तत्पश्चात उक्त भूमि के बावत इकरारनामा निष्पादित कराये जाने का अभियोग है। अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के आशय से कूटरचना की गयी है। सह अभियुक्त की पूर्व में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्तगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा नामित किये जाने के सम्बन्ध में कोई युक्ति–युक्त कारण जमानत प्रार्थनापत्र में नहीं दर्शित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर किस्म का है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की

गम्भीरता व समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रजनीश कुमार व प्रमोद कुमार दीक्षित उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1616/2026 प्रमोद कुमार दीक्षित बनाम राज्य की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक–11.06.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899